न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–370/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00113)

1. रविन्द्र कुमार आयु 26 वर्ष, पुत्र राजबीर सिंह,
2. हरीश कुमार आयु 23 वर्ष पुत्र राजबीर सिंह,
3. अरविन्द कुमार आयु 17 वर्ष, पुत्र राजबीर सिंह नाबालिंग जाति अहीर बसरपरस्ती श्रीमती राजेश कुमार पत्नी राजबीर सिंह माता स्वयं,
4. संदीप कुमार आयु 15 वर्ष पुत्र राजेन्द्रसिंह नाबालिंग बसरपरस्ती श्रीमती ओमवती पत्नी राजेन्द्र सिंह माता स्वयं, जाति अहीर, निवासीयान ग्राम किथूर तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. श्रीमती राजकुमारी पुत्री ज्ञानचन्द जाति आर्य जाट, निवासी किथूर, तहसील व जिला अलवर हाल बाघोर, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट

02. जयचन्द पुत्र ज्ञानचन्द **(मृतक)**
    - 2/1. श्रीमती केवल पत्नी स्व. श्री जयपाल, जाति आर्य जाट, निवासी किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।
    - 2/2. श्रीमती अलका पुत्री स्व. श्री जयपाल, पत्नी खुशीराम, जाति आर्य जाट, निवासी हाल ग्राम झड़झीला, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।
    - 2/3. श्रीमती लता पुत्री स्व. श्री जयपाल, पत्नी देवीसिह, जाति आर्य जाट, निवासी हाल ग्राम झड़झीला, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।
    - 2/4. मेहन्दीरत्त पुत्र स्व. श्री जयपाल, जाति आर्य जाट,
    - 2/5. सोना नाबालिंग पुत्र स्व. जयपाल, जाति आर्य जाट जरिये सरपरस्त श्रीमती केवल माता खुद निवासीयान किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।
03. संदीप पुत्र धर्मपाल,
04. सुभाष पुत्र धर्मपाल,
05. अंजू पुत्री धर्मपाल,
06. लाडी पुत्री धर्मपाल नाबालिग बसरपरस्ती मु. पुष्पा बेवा धर्मपाल माता स्वयं
07. श्रीमती पुष्पा बेवा धर्मपाल,
08. सोनू नाबालिंग पुत्र नन्दलाल बसरपरस्ती मु. शोभा बेवा नन्दलाल माता खुद
09. मु. शोभा बेवा नन्दलाल, जाति आर्य जाट निवासीयान ग्राम किथूर तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।
10. मु. शान्ती बेवा ज्ञानचन्द जाति आर्य जाट निवासीयान ग्राम किथूर तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।**(मृतक दौराने अपील)**
11. श्रीमती सोमादेवी तथाकथित पुत्री ज्ञानचन्द पत्नी बिशनदास, जाति आर्य जाट, निवासी ग्राम किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

12. ग्राम पंचायत किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान द्वारा सरपंच ग्राम किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

—— तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील सख्याः—371/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00107)

1. रविन्द्र कुमार आयु 26 वर्ष, पुत्र राजबीर सिंह,
2. हरीश कुमार आयु 23 वर्ष पुत्र राजबीर सिंह,
3. अरविन्द कुमार आयु 17 वर्ष, पुत्र राजबीर सिंह नाबालिंग जाति अहीर बसरपरस्ती श्रीमती राजेश कुमार पत्नी राजबीर सिंह माता स्वयं,
4. संदीप कुमार आयु 15 वर्ष पुत्र राजेन्द्रसिंह नाबालिंग बसरपरस्ती श्रीमती ओमवती पत्नी राजेन्द्र सिंह माता स्वयं, जाति अहीर, निवासीयान ग्राम किथूर तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. श्रीमती सोमादेवी तथाकथित पुत्री ज्ञानचन्द पत्नी बिशनदास, जाति आर्य जाट, निवासी किथूर, तहसील व जिला अलवर हाल बाघोर, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट

02. जयचन्द पुत्र ज्ञानचन्द **(मृतक)**
    - 2/1. श्रीमती केवल पत्नी स्व. श्री जयपाल, जाति आर्य जाट, निवासी किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।
    - 2/2. श्रीमती अलका पुत्री स्व. श्री जयपाल, पत्नी खुशीराम, जाति आर्य जाट, निवासी हाल ग्राम झड़झीला, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।
    - 2/3. श्रीमती लता पुत्री स्व. श्री जयपाल, पत्नी देवीसिह, जाति आर्य जाट, निवासी हाल ग्राम झड़झीला, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर, राजस्थान।
    - 2/4. मेहन्दीरत्त पुत्र स्व. श्री जयपाल, जाति आर्य जाट,
    - 2/5. सोना नाबालिंग पुत्र स्व. जयपाल, जाति आर्य जाट जरिये सरपरस्त श्रीमती केवल माता खुद निवासीयान किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।
03. संदीप पुत्र धर्मपाल,
04. सुभाष पुत्र धर्मपाल,
05. अंजू पुत्री धर्मपाल,
06. लाडी पुत्री धर्मपाल नाबालिग बसरपरस्ती मु. पुष्पा बेवा धर्मपाल माता स्वयं
07. श्रीमती पुष्पा बेवा धर्मपाल,
08. सोनू नाबालिंग पुत्र नन्दलाल बसरपरस्ती मु. शोभा बेवा नन्दलाल माता खुद
09. मु. शोभा बेवा नन्दलाल, जाति आर्य जाट निवासीयान ग्राम किथूर तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

10. मु. शान्ती बेवा ज्ञानचन्द जाति आर्य जाट निवासीयान ग्राम किथूर तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।**(मृतक दौराने अपील)**
11. श्रीमती राजकुमारी तथाकथित पुत्री ज्ञानचन्द जाति आर्य जाट, निवासी ग्राम किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।
12. ग्राम पंचायत किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान द्वारा सरपंच ग्राम किथूर, तहसील व जिला अलवर, राजस्थान।

—— तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांकः 17.04.2018

अपीलार्थीगण द्वारा यह दोनों अपीले न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर के आदेश दिनांक 24.01.2007 (प्रकरण संख्या 5/30, 5/24) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई तथा उपरोक्त दोनों अपीलों की विषयवस्तु एक समान व वादग्रस्त आराजी एक ही होने के कारण दोनों अपीलों की निर्णय एकसाथ ही लिखाया गया है।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 352 रकबा 29 ऐयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 36 ऐयर, खसरा नम्बर 527 रकबा 46 ऐयर, खसरा नम्बर 1277 रकबा 5 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.16 हैक्टयर वाके ग्राम किथूर तहसील व जिला अलवर राजसथान में स्थित है जिस आराजी का खातेदार काश्तकार ज्ञानचन्द पुत्र मंगतूराम, जाति आर्य जाट निवासी किथूर था, जिस ज्ञानचन्द का स्वर्गवास हो गया है और उसकी विरासत का नामान्तरकरण उसके जायज वारिसान जयपाल पुत्र ज्ञानचन्द 1/4 भाग, श्रीमती शांती बेवा ज्ञानचन्द 1/4 भाग, संदीप सुभाष पुत्र, अंजू, लाडी पुत्रीयॉ, मु. पुष्पा बेवा धर्मपाल 1/4 भाग, सोनू पुत्र मु. शोभा बेवा नन्दलाल 1/4 भाग का नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 26.10.1999 को ग्राम पंचायत किथूर द्वारा स्वीकार किया गया, जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल कर दयिा उक्त आराजी का 1/4 भाग जिसका खातेदार काश्तकार जयपाल पुत्र ज्ञानचन्द जाति आर्य जाट निवासी किथूर था उक्त जयपाल ने अपना 1/4 भाग जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.11.1999 अपीलान्ट को प्रतिफल की राशि लेकर बेचान कर दिया और मौके पर अपीलान्ट का अपने 1/4 भाग पर कब्जा करा दिया अपीलान्ट उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 209 स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल हो चुका है, इस प्रकार अपीलान्ट्स उक्त वादग्रस्त आराजी के बोनाफाईड परचेजर विद पास्ड वैल्यूवल कन्सीट्रेशन विदाउट नोटिस है और उप पंजीयक द्वारा भी उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड के अवलोकन कर विधिक प्रावधानों के अनुरूप विक्रय पत्र अपीलान्ट के हक में तस्दीक किया है। उन्होने कथन किया है अपीलान्ट उक्त आराजी में 1/4 भाग के काबिज काश्तकार खातेदार है और मौके पर काबिज है लेकिन उक्त समस्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त भी असल रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय मे पेशकर्दा अपील में

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पक्षकार मुकदमा नही बनाया और असल रेस्पोडेन्ट व अन्य रेस्पोडेन्ट ने आपस में साज बाज कर कोलेसिव निर्णय अपीलीय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर से दिनांक 24.01.2007 को पारित कराया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट का उक्त आराजी मे हित निहित है और अपीलान्ट आवश्यक पक्षकार मुकदमा है और हितबद्ध पक्षकार है और प्रकरण में होने वाले किसी भी निर्णय से अपीलान्ट के हितों पर विपरित असर पड़ता है और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.01.2007 से भी अपीलान्ट के हितों पर विपरित असर पड़ा है इसलिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.01.2007 के खिलाफ अपीलान्ट को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश करने की इजाजत दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिसके लिऐ अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता अलग से पेश किया गया है, जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि असल रेस्पोडेन्ट श्रीमती राजकुमार एवं श्रीमती सोमादेवी तथाकथित पुत्री ज्ञानचन्द ने गलत तथ्यों के आाधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की है जबकि असल रेस्पोडेन्ट श्रीमती राजकुमारी एवं श्रीमती सोमादेवी मृतक ज्ञानचन्द की पुत्रीयॉ वारिस नही है क्योंकि यदि वे मृतक खातेदार की वारिस होती तो ग्राम पंचायत किथूर द्वारा वादग्रस्त नामान्तरकरण उनके नाम से भी तस्दीक किया जाता लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 141 दिनांक 26.10.1999 को विधिक प्रावधानों के अनुसार मृतक ज्ञानचन्द के वारिसान की जॉच कर व मौके पर आराजी पर कब्जे की जांच करने ज्ञानचन्द के विधिक वारिसान के हक में तस्दीक किया और ज्ञानचन्द के जायज वारिस जयपाल ने अपना 1/4 भाग हिस्सा अपीलान्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय से बेचान कर कब्जा दे दिया ऐसी स्थिति में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार है और मौके पर काबिज है, असल रेस्पोडेन्ट का ज्ञानचन्द की विरासत में कोई हिस्सा हक अधिकार नही बनता है और कोई हिस्सा पाने की वे अधिकारी भी नही है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश आदेश दिनांक 24.01.2007 पारित किये है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपीलान्ट की दोनों अपीले स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालाय द्वारा अपील संख्या 5/30 एव 5/24 में पारित निर्णय दिनांक 24.01.2007 निरस्त किया जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत किथूर दिनांक 26.10.1999 नामान्तरकरण संख्या 141 ग्राम किथूर बदस्तूर बहाल रखे जाने की आज्ञा पारित की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादग्रस्त आराजी के खातेदार ज्ञानचन्द की पुत्री है, जो मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिस काबिज जायदाद है और उसका विवादित आराजी में 1/6 भाग बनता है, ऐसी सूरत में मृतक ज्ञानचन्द का विरासत का उक्त भाग अपीलान्ट के हक में भी दर्ज व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

स्वीकार किये जाने योग्य है लेकिन ग्राम पंचायत किथूर ने मृतक खातेदार के वारिसों की बिना कोई जॉच किये ही मनमाने तरीके से वादग्रस्त नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य था।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार मृतक ज्ञानचन्द के कुल 6 वारिसान है लेकिन तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स ग्राम पंचायत व से सांठ गांठ कर वादग्रस्त नामान्तरकरण असल रेस्पोडेन्ट के पीठ पीछे व बाला–बाला ही ग्राम पंचायत से स्वीकार कराया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी होने पर उन्होने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने हक अधिकारों की रक्षार्थ अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.01.2007 पारित किये गये है जिनमें किसी प्रकार की कोई कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपीलान्ट की दोनों अपीले खाारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार के पुत्र जयपाल द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में अपने 1/4 हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.11.1999 से क्रय किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवश्यक पक्षकार थे लेकिन अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बिना पक्षकार बनाये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिससे अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण उसे उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा अपील संख्या 5/30 एवं 5/24 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.01.2007 निरस्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।